सदस्य
न्यायालय श्रीमान् ~~आयुक्त~~ महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर म०प्र० (198)

R.5513-दो/16

निगरानी प्रकरण क्रमांक /2016

1- राम कुमार पिता रामाश्रय ब्रा० पेशा खेती व पेंशनर निवासी ग्राम पाढ़ी

2- मातादीन तनय राम कुमार ब्रा० निवासी पाढ़ी

3- श्रीमती गिरजा गौतम तनय राम कुमार गौतम पत्नी रोहिणी प्रसाद

निवासीग्राम उजैनी, तहसील बिरसिंहपुर, जिला सतना म०प्र०

---- आवेदकगण/निगराकारगण

आवेदकगण की ओर से श्री महेन्द्र कुमार आर्य द्वारा पेश किया गया 28.11.16

28-11-16

सर्किट ऑफ कोर्ट राजस्व मंडल म० प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

विरुद्ध

1- मातादीन तनय राम कुमार साकिन अहाताला गणेशपुर पाढ़ी निमुहा टोला

तहसील मैहर, जिला सतना म०प्र०

2- दुर्गा प्रसाद तनय राम कुमार ब्रा० निवासी ग्राम गोरहिया बेरहना तहसील

बिरसिंहपुर, जिला सतना म०प्र० ---- अनावेदक गैरनिगराकारगण

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान् अपर आयुक्त

महोदय रीवा संभाग रीवा के अपील प्रकरण

क्र० 1410/ अपील/ 15-16 में पारित आदेश दिनांक

16-9-16

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भूराजस्व

संहिता सन 1959

मान्यवर, निगरानी अन्य के अतिरिक्त निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है।

[signature]

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निग0 5513–दो/16 जिला –सतना

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22–06–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री महेन्द्र कुमार अग्निहोत्री द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 1410/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 16.9.16 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई। 2– मेरे द्वारा आवेदक के अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त रीवा द्वारा प्रकरण ग्राह्यता के बिन्दु पर ही अग्राह किया गया है। आवेदक रामकुमार आदि द्वारा मात्र एक वारिसान बताकर अपना नामांतरण कराया गया है जबकि अन्य वारिसान है इसकी पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में की गई है और यह आदेश अपर आयुक्त द्वारा भी मान्य किया गया है । अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 1410/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 16.916 में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं	

समझता हूँ। अतः अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 16.9.16 स्थिर रखा जाता है। तथा आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी बलहीन होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश की प्रति भेजी जावे। राजस्व मण्डल का अभिलेख संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य